

715/18

पत्रावली राजस्व लोक अदालत के
कोर्ट मुहूर्ती में पेश हुई। वकील वारी
उपरोक्त पत्रावली का अवलोकन
लोक अदालत की सख्त में
मध्यमन्या अवलोकन किया गया।
माना किया गया। मूल का के
यलने तक जारी उर उर
उपरोक्त 212 RTA के
के पूर्व जारी हुआ 4/4/18 को
व्यक्ति किया गया है। उभयपक्ष
को पावना किया जाता है कि एक-
दूसरे के कर्तव्य में मजाहद
नहीं करे। पत्रावली के लंबे शुमार
है। इतिनामा ले काम ही।

HADIB
मुहूर्ती